राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

प. 12(8)सह/2015/वोल्यूम–(2)   जयपुर, दिनांकः 2/08/17

अधिसूचना

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 123 की उप–धारा (1) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्ति प्रदान की जाये क्योंकि राज्य सरकार का लोक हित में यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 11 का संशोधन.– राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 11 के उप–नियम 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जो धारा 6 के अधीन उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक है" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "तो वह संशोधन को रजिस्टर करेगा" के पूर्व अभिव्यक्ति "और धारा 10 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुकूल है" अन्तःस्थापित की जायेगी।

3. नियम 14 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 14 का विद्यमान उप–नियम (1–क) हटाया जायेगा।

4. नियम 19 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 19 का विद्यमान उप–नियम (2) हटाया जायेगा।

5. नियम 23 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 23 का विद्यमान उप–नियम (2) हटाया जायेगा।

6. नियम 24 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 24 का विद्यमान उप–नियम (2) हटाया जायेगा।

7. नियम 25 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 25 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सम्मिलित किया गया है या धारा 15 की उप–धारा (4) के उपबन्धों के अधीन सदस्य समझा गया है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सम्मिलित किया गया है" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 27 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 27 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप–धारा (3–क)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप–धारा (4)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. नियम 28 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 28 के उप–नियम (2) के खण्ड (iv) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु यदि सोसाइटी ऐसे प्रवर्गों में से किसी ऐसे एक प्रवर्ग से संबंधित है जिसका निर्वाचन इन नियमों के नियम 45 के साथ पठित धारा 33 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाना है, तो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के तुरंत पश्चात्, सोसाइटी की समिति के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी को लिखित अनुरोध भेजेगा और उसकी प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा:

परंतु यह और कि किसी सोसाइटी में जहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, वहां सोसाइटी की उप–विधियों के अनुसार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति और यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तब सोसाइटी का अध्यक्ष ऐसा अनुरोध राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।"

10. नियम 29 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 29 में,–

(i) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "50 से कम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "30 से कम" प्रतिस्थापित की जायेगी, और

(ii) विद्यमान उप–नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

"(6) प्रतिनिधि साधारण निकाय के लिए निर्वाचन उप–विधियों में विहित रीति में संचालित किये जायेंगे:

परंतु ऐसी सोसाइटियों में जहां समिति के निर्वाचन इन नियमों के नियम 45 के साथ पठित धारा 33 के उपबंधों के अनुसार राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा संचालित किये जाने हैं, वहां प्रतिनिधि साधारण निकाय के लिए ऐसे निर्वाचन, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को सूचना के अधीन संचालित किये जायेंगे। प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी के प्रतिनिधि साधारण निकाय के निर्वाचनों के लिए कोई प्रेक्षक नियुक्त कर सकेगा और ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकेगा जो वह निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में निर्वाचनों का संचालन करने के हित में आवश्यक समझे।"

11. नियम 32 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 32 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(2) समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति ऐसी होगी जो उप–विधियों में विनिर्दिष्ट होगी किंतु यह ऐसी बैठक के समय विद्यमान समिति के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत या सात सदस्यों, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।"; और

(ii) विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(4) जहां किसी सोसाइटी की समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है और ऐसी रिक्ति होने के समय पर, समिति की शेष अवधि उस कुल अवधि, जिसके लिए वह निर्वाचित की गयी थी, आधे से कम है, तो समिति ऐसी रिक्ति को सदस्यों

के उसी वर्ग, जिनके संबंध में रिक्ति पैदा हुई थी, में से सहयोजन द्वारा भर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई सहयोजन विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि,—

(i) समिति के समस्त आसीन सदस्यों और रजिस्ट्रार को प्रस्तावित सहयोजन की कार्यसूची रखने वाली समिति की बैठक के लिए पन्द्रह दिन का नोटिस तामील न कर दिया गया हो,

(ii) सहयोजन का संकल्प, ऐसी बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति वाली समिति की नियत बैठक में साधारण बहुमत से पारित न कर दिया गया हो और जिसमें कम से कम छह निर्वाचित सदस्य उपस्थित हों; और

(iii) ऐसे सहयोजन का संकल्प रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।''।

12. नियम 33 का संशोधन.— उक्त नियमों के नियम 33 में, उप—नियम (2) के विद्यमान खण्डों (घ), (ङ) और (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (घ), (ङ), (च) और (छ) प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

''(घ) यदि, चाहे किसी भी कारण से, वह उस सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं रह जाता है जिससे वह इसके प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया गया था या जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है; या

(ङ) यदि किसी सोसाइटी की समिति को, जिसने उसे निर्वाचित किया है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन हटा दिया गया है और प्रशासक नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार नियुक्त प्रशासक इस प्रकार हटाये गये अध्यक्ष के स्थान पर सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करेगा, या

(च) यदि उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रशासक के रुप में नियुक्त किया गया था और प्रशासक की नियुक्ति का आदेश अधिनियम के

उपबंधों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया जाये; या

(छ) यदि उस सोसाइटी का, जिसका वह प्रतिनिधि है, रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाये या सोसाइटी के समापन आदेश जारी कर दिये गये हों।"।

13. नियम 34 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 34 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (2) और (3), क्रमशः उप–नियम (3) और (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किये जायेंगे; और

(ii) विद्यमान उप–नियम (1) के पश्चात् और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–नियम (3) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप–नियम (2) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(2) किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य किसी सहकारी सोसाइटी की समिति में निर्वाचित, नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या सहयोजित किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने,–

(i) किसी प्राथमिक डेयरी सोसाइटी, बुनकर सोसाइटी या महिला सहकारी सोसाइटी की दशा में किसी विद्यालय से कक्षा पांच; और

(ii) किसी प्राथमिक स्तरीय कृषिक ऋण सोसाइटी, उपभोक्ता सोसाइटी, आवासन सोसाइटी, कृषि सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, नगरीय सहकारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ऋण सोसाइटी, वेतन अर्जन सोसाइटी, सहकारी संघ या केन्द्रीय या शीर्ष स्तरीय सहकारी सोसाइटी की दशा में किसी विद्यालय से कक्षा आठ,

उत्तीर्ण न की हो:

परंतु उपर्युक्त निरर्हता राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2017 के प्रारंभ के पूर्व निर्वाचित किसी समिति के किसी सदस्य पर लागू नहीं होगी।", और

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "(1) या (2)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(1) या (3)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. नियम 35 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 35 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 30" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिनियम के उपबंधों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

15. नियम 36 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 36 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (1), (2), (3), (4), (4क) और (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित नये उप–नियम (1), (2), और (3) प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

"(1) किसी सोसाइटी की उप–विधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां समिति के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के प्रस्ताव पर या अन्यथा, धारा 30 की उप–धारा (1) या (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की जानकारी में यह आता है कि समिति या, यथास्थिति, किसी सोसाइटी की समिति का कोई सदस्य, उपर्युक्त संबंधित उप–धाराओं में वर्णित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है, वहां वह ऐसे हटाये जाने का आदेश करने से पूर्व, नोटिस के जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, समिति या संबंधित सदस्य को कारण दर्शित करने का अवसर देगा कि क्यों न ऐसा आदेश पारित कर दिया जाये।

(2) समिति या संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर दिय जाने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इसे आवश्यक बनाती है या धारा 30 के अधीन कार्रवाई करना वांछनीय बनाती हैं, तो वह लिखित आदेश द्वारा,

(क) समिति को हटा देगा और सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए किसी प्रशासक को, जो सरकारी कर्मचारी होगा, नियुक्त करेगा, या

(ख) समिति के सदस्य को हटा देगा और रिक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी।"

(3) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की या भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर किसी अन्य सहकारी बैंक की समिति को हटा देगा और ऐसी सिफारिश के एक मास के भीतर उसके स्थान पर किसी प्रशासक को नियुक्त करेगा।";

(ii) विद्यमान उप–नियमों (5), (6) और (7) को क्रमशः उप–नियम (4), (5) और (6) के रुप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 30" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिनियम के उपबंधों के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. **नियम 38 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 38 में,–

(i) उप–नियम (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु किसी सोसाइटी में जहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, वहां सोसाइटी की उप–विधियों के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति और यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रुप में कार्य करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तब सोसाइटी का अध्यक्ष इस नियम के अधीन उपर्युक्त कार्रवाई कर सकेगा।"।

17. **नियम 39 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 39 में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुशासन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भर्ती की प्रक्रिया, अनुशासन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप–नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(9) किसी लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी को, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित सामान्य शर्तों और मानकों के अध्यधीन, कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, पदस्थापन और स्टाफ को प्रतिकर सहित आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता होगी।"।

18. नियम 39–क का अन्तःस्थापन.– इस प्रकार संशोधित नियम 39 के पश्चात् और विद्यमान नियम 40 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 39–क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"39–क सहकारी सोसाइटियों के लिए भर्ती बोर्ड.– (1) उप–नियम (4) में वर्णित सहकारी सोसाइटियों के प्रवर्गों के कर्मचारियों की भर्ती, निम्नलिखित से मिलकर बने सहकारी भर्ती बोर्ड, जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है, द्वारा की जायेगी, अर्थात् :–

(i)	अतिरिक्त रजिस्ट्रार–I सहकारिता विभाग, राजस्थान	–	अध्यक्ष,
(ii)	रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान का एक नामनिर्देशिती जो रु. 7600/– से अनिम्न ग्रेड पे वाला कोई अधिकारी होगा	–	सदस्य,
(iii)	निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान	–	सदस्य–सचिव

(2) सरकार बोर्ड की सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त कर सकेगी जैसा वह न्यायसंगत और आवश्यक समझे।

(3) बोर्ड, रजिस्ट्रार के अनुमोदन के पश्चात्, सोसाइटी को लागू नियमों के अनुसार संबंधित सोसाइटी की अध्यपेक्षा पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

(4) बोर्ड चयन प्रक्रिया संचालित करने के लिए और सहकारी सोसाइटियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारियों के नामों की सिफारिश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, अर्थात् :–

(i) ऐसी सोसाइटियों को छोड़कर जिनको न तो अधिनियम के अध्याय 7 में यथा वर्णित कोई सरकारी सहायता प्राप्त होती है और न ही जिनमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक अधिकारी के रूप में कोई सरकारी सेवक पदस्थापित है, समस्त शीर्ष और केन्द्रीय स्तरीय सोसाइटियां,

(ii) प्राथमिक कृषिक ऋण सोसाइटियां,

(iii) प्राथमिक भूमि विकास बैंक,

(iv) नगरीय सहकारी बैंक,

(v) पांच लाख रु. या अधिक की सरकारी अंश पूंजी वाली अन्य सोसाइटियां, और

(vi) उप–नियम (1) में वर्णित बोर्ड की सिफारिश पर, ऐसे अन्य वर्ग की सोसाइटियां इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकेंगी।

(5) किसी सोसाइटी द्वारा भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों के प्रवर्ग को लागू नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड चयन की रीति और अन्य संबंधित बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए चयन मानदंड, प्रक्रिया, और अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने के मानदंड विनिश्चित करेगा, ताकि भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से हो सकें।

(6) जहां बोर्ड की राय में विशिष्ट प्रकार की परीक्षा को संचालित करने के लिए यथोचित विशेषज्ञता और ख्याति वाले किसी स्वतंत्र अभिकरण की सेवायें लिया जाना आवश्यक है, वहां वह रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से ऐसा कर सकेगा।

(7) बोर्ड, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से इसके लिए अधिकथित मानकों के अनुसार अभ्यर्थियों से परीक्षा की फीस प्रभारित कर सकेगा। जहां परीक्षा संचालित करने की लागत अभ्यर्थियों से प्रभारित की गयी फीस से अधिक है, वहां बोर्ड अपने व्ययों को वसूल करने के लिए संबंधित सोसाइटी से अधिक लागत प्रभारित करने के लिए सक्षम होगा।"।

19. नियम 41 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 41 के विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) लेखाओं के उपर्युक्त विवरण की एक प्रति, उसके तैयार किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सोसाइटी

की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त लेखापरीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी और लेखाओं के ऐसे विवरण सोसाइटी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे।"।

20. नियम 44 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 44 के उप–नियम (1) में,–

(i) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सहकारिता विभाग का प्रभारी सचिव, राजस्थान" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कार्मिक विभाग का प्रभारी सचिव, राजस्थान" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. नियम 45 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 45 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1) सोसाइटियों के निम्नलिखित वर्ग की निर्वाचक नामावलियों का तैयार करने और उनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, में निहित होगा, अर्थात् :–

(i) समस्त शीर्ष स्तरीय सोसाइटियां,

(ii) समस्त केन्द्रीय स्तरीय सोसाइटियां;

(iii) प्राथमिक कृषिक ऋण सोसाइटियां;

(iv) कृषक सेवा सोसाइटियां,

(v) प्राथमिक भूमि विकास बैंक;

(vi) नगरीय सहकारी बैंक,

(vii) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियां;

(viii) डेयरी सहकारी सोसाइटियां,

(ix) बुनकर सहकारी सोसाइटियां;

(x) आवास सहकारी सोसाइटियां;

(xi) ऋण सहकारी सोसाइटियां;

(xii) पांच लाख रुपये या अधिक के अंश पूंजी वाली कोई अन्य सोसाइटी; और

(xiii) सोसाइटियों के ऐसे अन्य वर्ग जो इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किये जायें:

परंतु प्राधिकारी उपर्युक्त वर्णित सोसाइटियों से भिन्न सोसाइटियों में भी निर्वाचनों का संचालन कर सकेगा जहां कोई सोसाइटी ऐसा करने का निवेदन करती है या जहां सोसाइटी समय पर निर्वाचनों का संचालन नहीं करती है।";

(ii) विद्यमान उप–नियम (2) से (23) को क्रमशः (4) से (25) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा;

(iii) इस प्रकार संशोधित उप–नियम (1) के पश्चात् और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (4) के पूर्व, निम्नलिखित नये उप–नियम (2) और (3) अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थातः–

"(2) उप–नियम (1) में वर्णित सहकारी सोसाइटियों की समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए प्राधिकरण एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा:

परंतु संबंधित सोसाइटी का कोई सदस्य या कर्मचारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) में वर्णित किसी सोसाइटी की समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों का निर्वाचन इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और सोसाइटी की उप–विधियों के अनुसार संचालित किया जायेगा।"

(iv) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (5) के खण्ड (i) के उप–खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 30 के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 30 के अधीन या अन्यथा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (5) के खण्ड (iv) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(vi) इस प्रकार पुनः संख्यांकित और संशोधित उप–नियम (5) के खण्ड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"परंतु यदि सोसाइटी की उप–विधियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद का उपबंध नहीं करती हैं तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति, उप–विधियों के अनुसार राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को समस्त जानकारी, सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा।";

(vii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–नियम (7) में, विद्यमान खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(i) निर्वाचन का नोटिस निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्यों को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक रीतियों से भेजा जायेगा, अर्थात्:–

(क) स्थानीय परिदान द्वारा;

(ख) डाक प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा;

(ग) सदस्यों के मध्य परिचालित करके;

(घ) डोंडी पिटवाकर विज्ञापित करके; और

(ड) सोसाइटी के क्रियागत क्षेत्र में परिचालन वाले किसी समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा।

(ii) निर्वाचन कार्यक्रम के साथ निर्वाचन का नोटिस, सोसाइटी के सूचना–पट्ट पर और ऐसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर भी लगाया जायेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किये जायें।"

(viii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–नियम (8) में,–

(क) खण्ड (ii) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"परंतु कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी की समिति में एक से अधिक पद के लिए निर्वाचन नहीं लड़ेगा।"; और

(ग) विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(iii) नीचे वर्णित प्रतिभूति रकम के साथ प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्थापक या समर्थक द्वारा, उप–नियम (7) में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख (तारीखों) को और घण्टों के बीच, निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जायेगा :–

(1)	प्राथमिक सोसाइटी	–– 200/– रुपये
(2)	विपणन सोसाइटी	–– 500/– रुपये
(3)	थोक विक्रय भण्डार	–– 500/– रुपये
(4)	प्राथमिक भूमि विकास बैंक	–– 1000/– रुपये
(5)	अन्य केन्द्रीय सोसाइटी	–– 1000/– रुपये
(6)	केन्द्रीय सहकारी बैंक	–– 2000/– रुपये
(7)	शीर्ष सोसाइटी	–– 2500/– रुपये।";

(ix) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–नियम (24) के विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iii) निर्वाचन का परिणाम निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।"।

22. नियम 46 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 46 में,–

(i) उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ii) नियम 45 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सोसाइटियों में जहां राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को सोसाइटी और किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन संचालित करने का

कार्य न्यस्त किया गया है, वहां प्राधिकारी उप–नियम (2) से (8) में विनिर्दिष्ट रीति में, सोसाइटी की उप–विधियों में यथा विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के निर्वाचन के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा और अन्य समस्त सोसाइटियों में ऐसे निर्वाचन नियम 46–क में विनिर्दिष्टानुसार संचालित किये जायेंगे।";

(ii) विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) समिति के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, सोसाइटी के पदाधिकारियों के निर्वाचन इसकी उप–विधियों के अनुसार संचालित करने की व्यवस्था करेगा;"; और

(iii) विद्यमान उप–नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(7) जहां अधिनियम और सोसाइटी की उप–विधियों के उपबंधों के अनुसार किसी पदाधिकारी के रिक्त पद पर निर्वाचन संचालित किये जाने हैं, वहां इस नियम में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।"

23. नियम 46–क का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 46–क में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (2) को उप–नियम (5) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा;

(ii) विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम (1) से (4) तक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

"(1) नियम 45 के उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न सोसाइटियों में समिति के सदस्यों के निर्वाचन, सोसाइटी की साधारण बैठक में संचालित किये जायेंगे।

(2) सोसाइटी की समिति, अपनी अवधि के अवसान से पूर्व, सोसाइटी के पदाधिकारियों और अगली समिति के लिए निर्वाचन संचालित करने के लिए एक ऐसा स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी, जो सोसाइटी का कोई सदस्य या कर्मचारी नहीं होगा।

(3) सोसाइटी की उप–विधियों में यथा उपबंधित नोटिस, किन्तु जो किसी भी दशा में पन्द्रह दिन से कम का नहीं होगा, साधारण निकाय की बैठक, जिसमें निर्वाचन किये जाने हैं, के लिए समस्त सदस्यों और रजिस्ट्रार को दिया जायेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी उप–विधियों के अनुसार निर्वाचन संचालित करेगा :

परंतु निर्वाचन के लिए बैठक के प्रारंभ के समय इन नियमों और उप–विधियों में विनिर्दिष्ट गणपूर्ति होनी चाहिए।";

(iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 46 के उप–नियम (1) के खण्ड (ii)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 45 का उप–नियम (1)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित और संशोधित उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (6) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"(6) बैठक की कार्यवाहियां और निर्वाचन का परिणाम सोसाइटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किये जायेंगे और निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किये जायेंगे।"।

24. नियम 72 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 72 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(1) कोई सहकारी सोसाइटी जो धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) में वर्णित विभागीय लेखापरीक्षकों से अपनी लेखापरीक्षा करवाने का विकल्प देती है तो वह सोसाइटियों के उस वर्ग, जिससे वह संबंधित है, के संबंध में सरकार के पूर्व अनुमोदन से, रजिस्ट्रार द्वारा नियत फीस मापमान के अनुसार अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए राज्य सरकार को फीस का संदाय करेगी।

(2) कोई सोसाइटी जो, धारा 54 की उप–धारा (2) के अधीन, धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (i) में वर्णित लेखापरीक्षकों के पैनल में से कोई लेखापरीक्षक या धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (ख) में वर्णित लेखापरीक्षा करने वाली फर्मों के पैनल में से किसी लेखापरीक्षा फर्म

को नियुक्त करती है तो वह अपने लेखापरीक्षकों या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्मों को लेखापरीक्षा के लिए प्रतिकर का विनिश्चय करने और संदाय करने के लिए स्वतन्त्र होगी:

परंतु जहां सोसाइटी समय पर अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने में असफल रहती है और रजिस्ट्रार, धारा 54 की उप–धारा (2) के प्रथम परन्तुक के अधीन, धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) में वर्णित विभागीय लेखापरीक्षकों में से लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) को नियुक्त करता है या जहां रजिस्ट्रार धारा 54 की उप–धारा (2) के तृतीय परन्तुक के अधीन, धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (ii) में वर्णित विभागीय लेखापरीक्षकों में से लेखापरीक्षक नियुक्त करता है वहां सोसाइटी उप–नियम (1) में यथा वर्णित उसी रीति में लेखापरीक्षा फीस का राज्य सरकार को संदाय करेगी, मानो कि सोसाइटी ने स्वयं धारा 54 की उप–धारा (2) के अधीन विभागीय लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया हो।''; और

(ii) उप–नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''इस नियम के अधीन संदेय समस्त फीस'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''इस नियम के अधीन सरकार को संदेय समस्त फीस'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

25. नियम 73 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 73 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (6) को उप–नियम (10) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा;

(ii) विद्यमान उप–नियम (7) हटाया जायेगा;

(iii) विद्यमान उप–नियम (8) से (15), क्रमशः उप–नियम (11) से (18) के रूप में पुनः संख्यांकित किये जायेंगे;

(iv) विद्यमान उप–नियम (16) को उप–नियम (20) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा;

(v) विद्यमान उप–नियम (2) से (5) तक के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियम (2) से (9) तक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

''(2) रजिस्ट्रार, ऐसी कालावधि के लिए जो वह समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे, धारा 54 की उप–धारा (4) और (5) के उपबंधों के अनुसार पात्र

लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार करेगा, उसे अनुमोदित और अधिसूचित करेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन तैयार किये जाने वाले पैनल में निम्नलिखित तीन भाग अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :–

(i) भाग–क– जिसमें धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (i) में यथा वर्णित लेखापरीक्षकों के नाम अंतर्विष्ट होंगे,

(ii) भाग–ख– जिसमें धारा 54 की उप–धारा (5) के खण्ड (ख) में यथा वर्णित लेखापरीक्षा फर्मों के नाम अंतर्विष्ट होंगे, और

(iii) भाग–ग– जिसमें समय–समय पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित मानकों के अनुसार पात्र विभागीय लेखापरीक्षकों का पूल अंतर्विष्ट होगा और जिसे समय–समय पर, रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित रीति में उसके द्वारा वर्गीकृत और प्रवर्गीकृत भी किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक सोसायटी इस नियम में वर्णित प्रकिया के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के आगामी मई मास के अंत तक या ऐसे समय तक जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को नियुक्त करेगी और ऐसी नियुक्ति से रजिस्ट्रार को संसूचित करेगी। यदि सोसायटी किसी विभागीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति का विकल्प लेती है तो आवश्यक अध्यपेक्षा उस वित्तीय वर्ष के आगामी मई मास के अंत तक या ऐसे समय तक जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत किया जाये, रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और रजिस्ट्रार, ऐसी अध्यपेक्षा के प्राप्त होने पर, उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट पैनल के भाग–ग में से उस सोसायटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) को नियुक्त करेगा।

(5) किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति या सोसायटी में विभागीय लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की अध्यपेक्षा के संबंध में विनिश्चय सोसाइटी की समिति द्वारा लिया जायेगा और विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सोसाइटी की उप–विधियों के अनुसार मुख्य कार्यपालक

अधिकारी के स्थान पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा :

परन्तु कोई ऐसा व्यक्ति या किसी लेखापरीक्षा फर्म जिसमें ऐसा व्यक्ति हो जो फर्म के भागीदारों में से एक हो, सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो या तो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में या सोसाइटी के कर्मचारी के रूप में, सोसाइटी से सम्बद्ध हो।

(६) जहां कोई सोसाइटी भाग–क के पैनल में से कोई लेखापरीक्षक या भाग–ख के पैनल में से किसी लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति करने का विकल्प लेती हैं, वहां वह रजिस्ट्रार को संसूचना के अधीन, लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, संबंधित लेखापरीक्षा फर्म के नाम से प्रत्यक्षतः ऐसी नियुक्ति करेगी। यदि कोई सोसाइटी पैनल के भाग–ग से किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति का विकल्प लेती है तो वह किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम से प्रत्यक्षतः कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेगी, किन्तु वह अपनी अध्यपेक्षा सदैव रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी को संबोधित करेगी, जो सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए विभागीय लेखापरीक्षकों के पैनल के पूर्वोक्त भाग–ग में से लेखापरीक्षकों में से किसी एक को नियुक्त करेगी।

(7) जहां कोई सोसाइटी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति से रजिस्ट्रार को संसूचित करने या अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए, सोसाइटी में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए उप–नियम (4) में उसके लिए नियत समय के भीतर रजिस्ट्रार को अध्यपेक्षा भेजने में असफल रहती है वहां रजिस्ट्रार, उप–नियम (2) के अधीन तैयार किये गये लेखापरीक्षकों या लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल में से उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए किसी लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) या लेखापरीक्षा फर्म को नियुक्त करेगा और रजिस्ट्रार द्वारा लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) या लेखापरीक्षा फर्म की ऐसी नियुक्ति पर, सोसाइटी द्वारा की गयी या दावा की गयी कोई नियुक्ति शून्य समझी जायेगी और सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा

नियुक्त लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने को आबद्ध होगी।

(8) उप–नियम (4) से (7) तक में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, किसी विशिष्ट कालावधि के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग के लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने के लिए लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) या लेखापरीक्षा फर्म (फर्मों) को नियुक्त कर सकेगा, जो सोसाइटी या, यथास्थिति, सोसाइटियों के वर्ग पर बाध्यकारी होगा।

(9) कोई भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त नहीं की जायेगी।'';

(vi) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (14) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, ''उप–नियम (10)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''उप–नियम (13)'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (18) के पश्चात् और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (20) के पूर्व, निम्नलिखित नया उप– नियम (19) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(19) यदि रजिस्ट्रार की जानकारी में यह आता है कि किसी सोसाइटी में प्रथमदृष्ट्या कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है तो रजिस्ट्रार ऐसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी अनियमितता होने का विश्वास है, सोसाइटी की विशेष लेखापरीक्षा करवा सकेगा। रजिस्ट्रार, विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए, अपने आदेश में वर्णित कालावधि के लिए ऐसे विवाद्यकों को ध्यान में रखते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्टतः वर्णित किये जायें, लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा करते हुए लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा। ऐसी विशेष लेखापरीक्षा का वैसा ही प्रभाव होगा जैसा किसी नियमित वार्षिक लेखापरीक्षा का होता है।''; और

(viii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (20) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संबंधित बैंक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संबंधित बैंक और रजिस्ट्रार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

26. नियम 75 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 75 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 56 के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 55–क और 56 के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

27. नियम 81 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 81 में,–

(i) विद्यमान उप–नियम (4) से (16), क्रमशः उप–नियम (6) से (18) के रूप में पुनः संख्यांकित किये जायेंगे; और

(ii) विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात् और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप–नियम (6) के पूर्व, निम्नलिखित नये उप–नियम (4) और (5) अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

"(4) यदि सोसाइटी के पास कोई ऐसी अचल संपत्ति है, जो या तो सहकारिता आंदोलन के फायदे के लिए या व्यापक लोक हित के किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा सकती है, तो समापक ऐसी संपत्ति के ब्यौरे और उसकी राय में संपत्ति के संभाव्य उपयोग जिसके लिए सम्पत्ति काम में ली जा सकती है, विनिर्दिष्ट करते हुए रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा। यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि संपत्ति सहकारिता आंदोलन के सुधार के लिए या व्यापक लोक हित के किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा सकती है, तो वह समापक को,–

(i) सहकारिता आंदोलन के सुधार हेतु उपयोग के लिए और राज्य में सहकारिता सेक्टर के विकास को सुकर बनाने में आवश्यक अवसंरचना के सृजन के लिए सरकारी अंश पूंजी वाली किसी सहकारी सोसाइटी को और जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोई सरकारी अधिकारी हो संपत्ति, जो इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा चिन्हित की गयी है, ऐसे शर्तों और निबंधनों पर, जैसी वह विनिश्चित करे, सरकार के अनुमोदन से अंतरित करने के निदेश दे सकेगा:

परंतु यदि यह पाया जाता है कि किसी सोसाइटी को अंतरित संपत्ति, उस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं ली जा रही है जिसके लिए

वह न्यस्त की गयी थी तो रजिस्ट्रार राज्य के सहकारिता आंदोलन के हित में पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसके द्वारा पहचान की गयी सम्पत्ति किसी अन्य सोसाइटी को अंतरित करने के लिए या जनोपयोग की किसी सुविधा के सृजन के लिए सरकार को इसे अभ्यर्पित करने के लिए सक्षम होगा; या

(ii) लोक उपयोग की कोई सुविधा सृजित करने के लिए सरकार को संपत्ति अभ्यर्पित करने के निदेश दे सकेगा।

(5) जहां कोई अचल सम्पत्ति, जैसे कोई सामुदायिक केन्द्र, क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा उनके सामान्य कल्याण और सामुदायिक कियाकलापों के लिए उपयोग में ली जा रही है वहां समापक, संपत्ति के ब्यौरे और क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा किये गये वास्तविक उपयोग विनिर्दिष्ट करते हुए रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगा। जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि संपत्ति का स्थानीय निवासियों को पूर्व की भांति उपयोग के लिए अनुज्ञात किया जाना लोक हित में है, वहां वह सरकार से इस आशय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, समापक को ऐसे निवासियों की किसी सहकारी सोसाइटी को, जिसे वे ऐसी सामान्य सुविधा बनाये रखने के लिए अनन्य रूप से गठित करे संपत्ति अंतरण के लिए निदेश दे सकेगा :

परंतु संपत्ति ऐसी सोसाइटी को इस शर्त पर ही अंतरित की जायेगी कि इस प्रकार गठित सोसाइटी, सोसाइटी की रजिस्ट्रीकृत उप–विधियों के अनुसार न तो निवासियों के उपयोग के लिए संपत्ति को बनाए रखने के सिवाय किसी अन्य कियाकलाप के लिए उनकी उप विधियों को संशोधित करेगी और न ही संपत्ति सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत उद्देश्यों के सिवाय किसी अन्य उपयोग के लिए अन्य संक्रांत की जायेगी या रखी जायेगी:

परंतु यह और कि यदि यह पाया जाता है कि सामुदायिक कियाकलापों के लिए निवासियों की सोसाइटी को न्यस्त संपत्ति, उन सामुदायिक कियाकलापों, जिसके लिए यह सोसाइटी को न्यस्त की गयी थी, से भिन्न किसी ऐसे अन्य कियाकलाप के लिए उपयोग में ली जा रही है तो रजिस्ट्रार उप–नियम (4) में यथा उपबंधित राज्य के सहकारिता आंदोलन के हित में अन्य सोसाइटी को संपत्ति अंतरित करने के लिए या जनोपयोग की

किसी सुविधा के सृजन के लिए सरकार को इसे अभ्यर्पित करने के लिए सक्षम होगा।"।

28. नये नियम 102–क का अंतःस्थापन.– उक्त नियमों के अध्याय 13 में, विद्यमान नियम 102 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम 102–क जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"102–क कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्तियां.–

(1) यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि साधारण निकाय या किसी सहकारी सोसाइटी की समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरूद्ध है या सोसाइटी या इसके अधिकांश सदस्यों के हितों के सर्वथा प्रतिकूल है या अधिनियम, नियमों या सोसायटी की उप–विधियों के उपबंधों के विरूद्ध है या सोसाइटी की शक्तियों के अन्यथा आधिक्य में है तो वह, सोसाइटी को सुने जाने का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात्, उस संकल्प को विखंडित कर सकेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन सुनवाई को लंबित रखते हुए, रजिस्ट्रार ऐसा अंतर्वर्ती आदेश, जैसा वह सोसाइटी या इसके सदस्यों के हित में आवश्यक समझे, पारित कर सकेगा।"।

राज्यपाल के आदेश से,

sd

(सुखवीर सैनी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।

8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया अधिसूचना को राज--पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

9. गार्ड पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव